म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

क्रमांक / मंडी कार्मिक / बी–1 / 27–4 / पार्ट–1 / 8095 भोपाल, दिनांक 12/10 / 2021

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त) ....

विषयः—मध्यप्रदेश शासन, के असाधारण राजपत्र दिनांक 30 मई 1997 में प्रकाशित दिनांक के पश्चात् मंडी समिति स्तर से मंडी समिति सेवा के भृत्य को नाकेदार (अब सहायक उप निरीक्षक) संवर्ग के पद पर पदोन्नति एवं नियमितीकरण के सबंध में।

———————

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, के असाधारण राजपत्र दिनांक 30 मई 1997 में प्रकाशित मध्यप्रदेश अधिनियम कमांक 27 सन् 1997 में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 26 में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा का गठन किया गया है। उक्त सेवा में राज्य विपणन सेवा, बोर्ड सेवा के सदस्य और मण्डी समिति के नाकेदार (सहायक उप निरीक्षक) को सम्मिलित किया गया है।

उक्त संशोधित अधिनियम के परिपालन में संचालनालय कृषि मण्डी एवं म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश कमांक / मंडी / 6 / संवि. / विविध / 316–322 दिनांक 27.06.98 द्वारा समस्त राज्य विपणन सेवा के सदस्य, मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य और कृषि उपज मंडी समितियों के नाकेदार (सहायक उप निरीक्षक) को राज्य मंडी बोर्ड सेवा कर्मचारी घोषित किया गया।

अतः मध्यप्रदेश शासन, के असाधारण राजपत्र दिनांक 30 मई 1997 में प्रकाशित दिनांक के पश्चात् यदि मंडी समिति स्तर से मण्डी समिति सेवा के भृत्य को नाकेदार (अब सहायक उप निरीक्षक) संवर्ग के पद पर पदोन्नति की गई है और नाकेदार के पद पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियमितीकरण किया गया है, तो ऐसे कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार निर्धारित प्रोफार्मा में दिनांक 28 / 10 / 2021 तक मुख्यालय को जानकारी उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जावेः—

क्र0	मंडी समिति का नाम	कर्मचारी का नाम	दैनिक वेतन पर अथवा भृत्य के पद पर नियुक्ति	नियमितीकरण दिनांक	भृत्य से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक	रिमार्क

(प्रबंध संचालक महो0 के निर्देशानुसार)

संयुक्त संचालक (मंडी कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / मंडी कार्मिक / बी–1 / 27–4 / पार्ट–1 / 8096 भोपाल, दिनांक 12/10 / 2021

प्रतिलिपिः—

भारसाधक अधिकारी / सचिव (समस्त) कृषि उपज मंडी समिति ....जिला................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक (मंडी कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

F:\Pandit\Latter_3.doc